बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

अप्रवासी मजदूरों/राज्य के बाहर से आये व्यक्तियों के आवासन हेतु पंचायत/ग्राम स्तर पर क्वारंटीन कैम्प की स्थापना की गयी है। ये क्वारंटीन कैम्प प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में संचालित है। जिसके प्रभारी संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक को बनाया गया है। क्वारंटीन से संबंधित कार्यो के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कैम्प प्रभारी द्वारा किया जाना है तथा सभी आवश्यक व्यवस्था भोजन, नाश्ता आदि भी इन्हीं के द्वारा की जानी है।

अतएव **प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल जिला** को निदेशित किया जाता है कि आप अपने स्वयं अथवा संबंधित पंचायत के **पंचायत सचिव** के माध्यम से विद्यालय में आवासन की क्षमता को देखते हुए विद्यालय के **प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक** को **अग्रिम राशि** उपलब्ध करा दें ताकि उनके द्वारा आवश्यकतानुसार सामग्री की क्रय की जा सकें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 691/गो0 दिनांक 19/05/2020

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, अरवल एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अरवल/जिला नजारत उप समाहर्ता एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।